ठोस अपशिष्ट निस्तारण के लिए बढ़ाई समय सीमा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ठोस अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। प्राधिकरण ने यह कदम बड़े आवंटियों की मांग पर उठाया है। व्यावसायिक आवंटियों को तीस जुलाई तक ठोस अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी।

वहीं सोसायटियों को पंद्रह अगस्त व संस्थागत आवंटियों को तीस अगस्त तक अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। इसके बावजूद अगर अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था नहीं होती है तो प्राधिकरण आवंटियों पर जुर्माने की कार्रवाई करेगा। घरों से निकलने वाले कचरे का एजेंसियों के माध्यम से आसपास में ही एक स्थान पर निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी चयन किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्रतिदिन सौ किग्रा से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने या पांच हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली इकाइयों को उनके स्तर से ही अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था करने के लिए नोटिस जारी किए थे।

उन्हें पंद्रह जुलाई तक का वक्त दिया गया था। लेकिन अधिकतर आवंटियों ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने प्राधिकरण से अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। प्राधिकरण ने आवंटियों की मांग को मानते हुए समय विस्तार किया है। वहीं विकेंद्रीकरण कचरा प्रबंधन नीति के तहत घरों से निकलने वाले सूखे एवं गीले कचरे के निस्तारण के लिए प्राधिकरण ने शहर को छोटे-छोटे जोन में बांटा है। हर जोन की जिम्मेदारी एजेंसी को दी जाएगी। एजेंसियां घरों से निकलने वाले कचरे को प्राधिकरण से आवंटित जमीन पर एकत्र करेंगी और उसका वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण करेंगी। प्राधिकरण का दावा है कि इससे शहरों में कचरे के पहाड़ जैसी समस्या पैदा नहीं होगी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी।

प्राधिकरण अस्तौली गांव में 126 एकड़ में लैंडफिल साइट की चारदीवारी का निर्माण कर रहा है। सत्तर फीसद कार्य पूरा हो चुका है। इस साइट में विकेंद्रीकरण कचरा प्रबंधन से शेष बचे कचरे को डाला जाएगा। लखनावली गांव के समीप इंस्टिटयूशनल ग्रीन में एकत्र कचरे का बायोमाइनिंग विधि से निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।